

28-1-22

पीठारोप अधिकारी नवो राजकीय दोरे
कानून व्यवस्था/सोर्टिंग/राज कार्य
व्यक्त होने से कारण दिनांक 28.1-22
के सचिव मुद्राव्यय में आता तारीख
पेरी दिनांक 22-3-22
नियत की जाती है।

22-3-22 पञ्जावली आज पेश हुई।

वकील कादी अनुपरिधान/पञ्जावली
गवादेश की पालना में दिनांक
6-4-22 को पेश हो।

6-4-22 पञ्जावली आज पेश हुई। वकील
कादी अनुपरिधान/न्यायालय सभ्य
में रुक रुक कर बार-बार आवे
लगावाची गयी। परन्तु ना तो कादी
वकील और ना ही स्वयं कादी
उपरिधान हुये। आज पञ्जावली
सिखिल प्रक्रिया साहिला के आदेश
9 किपम 3 (अदम पैरवी अदम एवरी)
के तहत श्वारिन की जाती है।
पञ्जावली फैसलें सुभार हो गमकर
से कम की जाकर दारिखल दफतर
हो।



उप जिला कलेक्टर
चौध का बपवाडा